

पावर ग्रिड कोपॉरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौंद्रामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007

केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007 Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



CIN: L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 23 January, 2020

PGCIL/R/E/20/00011

Ms. Neha Jain, 310, Northend Tower, 60 ft Road, Near MCD Community Centre, Chattarpur, Pin: 110074 NEW DELHI

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 7 January, 2020 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-। मे संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संजीव सिंह.

कार्यपालक निदेशक (सी एम जी) एवं अपील प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, "सौदामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा। ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com

फोन नंबर: 0124-2571962

धन्यवाद,

भवदीय,

(जसबीर सिंह)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के.आ.) व के.लो.सू.अधिकारी

Email id: cpio.cc@powergrid.co.in

Information Sought: Details of all arbitration proceedings filed by you and filed against you?

- 1. The date of filing.
- 2. Amount of Arbitration.
- 3. Name and address of the parties to the Arbitration.
- 4. Name of the Arbitrators.

Reply: In view of section 42A of the Arbitration and Conciliation Act, the arbitration proceedings shall be kept confidential by the arbitrator and the arbitral institutions and as per Section 8(1)(d) & 8(1)(j) of the Right to Information Act, 2005, the information sought by Ms. Neha Jain is exempted from disclosure under the aforesaid provisions as it relates to confidentiality of arbitration proceedings, commercial confidence and third party information.

----X----

Rhigh